

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक : एफ.3(77)नवीनि / 3 / 2010 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 1 JUL 2011

आयुक्त,

जयपुर विकास प्राधिकरण,


जयपुर।

विषय:- राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010- ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 (10 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल) तथा पॉलिसी फॉर रेजिडेन्शियल, युप हाउसिंग एण्ड अदर स्कीम्स इन प्राईवेट सेक्टर, 2010 (10 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक) में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के लिये न्यूनतम 5 प्रतिशत क्षेत्रफल अथवा 15 प्रतिशत भूखण्ड/आवास आरक्षित किये जाने के प्रावधान है। इस संबंध में राज्य सरकार को टाउनशिप डबलपर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान व अन्य संस्थाओं से ज्ञापन प्राप्त हुये है, जिसके आधार पर उक्त पॉलिसिज में निम्न संशोधन राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है:-

- 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की प्लोटेड डबलपर्सेन्ट की योजनाओं में न्यूनतम 5 प्रतिशत क्षेत्रफल अथवा 15 प्रतिशत ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के लिए आरक्षित करने बाबत।
- युप हाउसिंग की 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. उपलब्ध कराने हेतु अथवा मूल योजना के अलावा नगरीय सीमा के अन्दर किसी अन्य अनुमोदित स्थान में उपलब्ध कराने के विकल्प बाबत।

उक्त बिन्दुओं पर निर्णय होने में समय लगने की समावना को देखते हुये यह निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त संशोधित प्रावधानों की अपेक्षा में प्राप्त होने वाले युप हाउसिंग के भवन मानचित्र का अनुमोदन रोका नहीं जावे। अनुमोदन करते समय विकासकर्ता से विधिक शपथ-पत्र ले लिया जाये कि उक्त संबंध में राज्य सरकार का निर्णय विकासकर्ता ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवास निर्धारित संख्या में तथा निर्धारित समय में उपलब्ध करायेगा। राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना नहीं करने पर अनुमोदित मानचित्र निरस्त माने जावेंगे तथा किया गया निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में मानते हुये धरस्त किया जा सकेगा।


(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव